

प्रारूप	आकावि -6	<b>भारतीय आयकर विवरणी</b> <b>(अनुबंधी फायदे कर आय विवरणी सहित)</b> [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कंपनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (संलग्न अनुदेशों को भी देखें)	निर्धारण वर्ष			
			2	0	0	9

<b>भाग क-साधारण</b>		<i>साधारण</i>																
व्यक्तिगत सूचना	नाम										स्थायी लेखा संख्यांक							
	क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें																	
	फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०				परिसर/भवन/ग्राम का नाम				निगमन की तारीख(दिन/मास/वर्ष)									
	सड़क /मार्ग/डाक घर				क्षेत्र/अवस्थान				यदि देशी कंपनी है ( निशान लगाएं ) <input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>					
	BEE <sup>२</sup> पÉÉ/एँÉc©/जिला				राज्य				पिन कोड				यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित)				<input type="checkbox"/>	
	ई मेल पता				(एसटीडी कोड)-दूरभाष संख्या													
फाइल करने की प्राप्ति	निर्धारण अधिकारी का पदनाम				क्षेत्र कोड		नि०आ० प्रकार		रेंज कोड		नि.आ. सं०		घाटा के अधीन फाइल की गई विवरणी (प्रविष्टि कोड) [कृपया अनुदेश सं० 9(i) देखें]		आयकर अनुबंधी फायदे			
	विवरण मूल है या पुनरीक्षित (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> मूल <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित																	
	यदि पुनरीक्षित है, तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) प्रविष्ट करें																	
संपत्ति जानकारी	आवासीय प्राप्ति ( निशान लगाएं ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी																	
	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है ( निशान लगाएं ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं																	
	क्या निर्धारती के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है ( निशान लगाएं ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं																	
	यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें																	
	(क)		प्रतिनिधि का नाम															
	(ख)		प्रतिनिधि का पता															
(ग)		प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक																
क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ( निशान लगाएं ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं																		
क्या आप धारा 44कख के अधीन संपत्ति के लिए दायी हैं ( निशान लगाएं ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं																		
यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें																		
(क)		लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम																
(ख)		लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या																
(ग)		लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)																
(घ)		संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)																
(ङ)		लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख																

कार्यालय प्रयोग के लिए

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए  
रसीद संख्या

तारीख

प्राप्तकर्ता पदधारी की मुद्रा और हस्ताक्षर

<b>धारक</b>	कंपनी का स्वरूप (यदि धारक कंपनी है तो 1 लिखें, यदि समनुषंगी कंपनी है तो 2 लिखें), यदि दोनों हैं तो 3 लिखें, यदि कोई अन्य है तो 4 लिखें <span style="float:right;"><input type="checkbox"/></span>				
	यदि समनुषंगी कंपनी है तो धारक कंपनी के नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख करें				
	यदि धारक कंपनी है तो समनुषंगी कंपनी के नाम, पते और स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख करें				
	समामेलक कंपनी की दशा में, सामामेलित कंपनी का नाम लिखें				
	समामेलित कंपनी की दशा में, सामामेलक कंपनी का नाम लिखें				
<b>कारबार संगठन</b>	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी का नाम लिखें				
	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी का नाम लिखें				
	प्रबंध निदेशकों, निदेशक सचिव और प्रधान अधिकारी, (अधिकारियों) की विशिष्टियां जो पूर्व वर्ष के दौरान पद धारित किए हुए पर थे				
<b>प्रमुख व्यक्ति</b>	<b>क्रम सं०</b>	<b>नाम</b>	<b>पद नाम</b>	<b>आवास का पता</b>	<b>स्थायी लेखा संख्यांक</b>
<b>शेयर धारकों की सूचना</b>	उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय 10% से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे				
	<b>क्रम सं०</b>	<b>नाम</b>	<b>धारित शेयरों का प्रतिशत</b>	<b>स्थायी लेखा संख्यांक</b>	
<b>कंपनी का स्वरूप और उसका कारबार</b>	<b>कंपनी का स्वरूप</b>				( निशान लगाए ) <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>1</b>	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी है			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	<b>2</b>	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	<b>3</b>	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	<b>4</b>	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी है			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	<b>5</b>	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	<b>6</b>	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	<b>7</b>	क्या आप गैर सरकारी वित्तीय संस्थान की कंपनी है			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें					
<b>क्र.सं.</b>	<i>कोड</i> [ कृपया अनुदेश संख्या 9 (ii) देखें ]		<b>वर्णन</b>		
<b>(i)</b>					
<b>(ii)</b>					
<b>(iii)</b>					

निधियों के स्रोत	1	शेयर धारक की निधि			
		क	शेयर पूंजी		
			i	प्राधिकृत	कां
			ii	पुरोधृत, अभिदत्त और संदत्त	काii
			iii	शेयर उपयोगन धन	काiii
			iv	कुल( काii + काiii)	काiv
		ख	आरक्षिति और अतिशेष		
			i	पुर्नमूल्यांकन आरक्षिति	खां
			ii	पूंजी आरक्षिति	खाii
			iii	पूंजी मोचन आरक्षिति	खाiii
			iv	प्रतिभूति प्रिमियम लेखा	खाiv
			v	डिबेन्चर मोचन आरक्षिति	खv
			vi	कानूनी आरक्षिति	खvi
		vii	साधारण आरक्षिति	खvii	
		viii	लाम और हानि लेखा	खviii	
		ix	कुल ( खां + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi + खvii + खviii))	खix	
	ग	कुल शेयर धारक निधि ( काiv + खix)		1 ग	
निधियों के स्रोत	2	ऋण निधि			
		क	प्रतिभूत ऋण		
			i	डिबेन्चर	कां
			ii	विदेशी करेन्सी ऋण	काii
			iii	रुपए ऋण	
			क	बैंकों से	iii क
			ख	अन्य से	iii ख
			ग	योग (iii क + iii ख)	iii ग
			iv	योग ( कां + काii + iii ग)	काiv
		ख	अप्रतिभूत ऋण		
			i	दीर्घकालिक	
			क	बैंकों से	i क
			ख	अन्य से	i ख
		ग	कुल (i क +i ख)	i ग	
		ii	अल्पकालिक		
		क	बैंको से	ii क	
		ख	अन्य से	ii ख	
		ग	कुल (ii क +ii ख)	ii ग	
		iii	योग (i ग+ ii ग)	खiii	
	ग	योग ऋण निधि ( काiv + खiii)		2 ग	
	3	आस्थगित कर दायित्व		3	
	4	निधि के स्रोत (1 ग + 2 ग +3)		4	
निधियों के उपयोगन	1	स्थिर आस्ति			
		क	सकल ब्लाक	1 क	
		ख	अवक्षयण	1 ख	
		ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1 ग	
		घ	पूंजी कार्य में प्रगति	1 घ	
		ड	कुल (1 ग + 1 घ)	1 घ	
	2	विनिधान			

क	दीर्घकालिक विनिधान				
	i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गईं	कां		
	ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गईं	काii		
	iii	कुल (कां + काii)		काiii	
	ख लघुकालिक विनिधान				
ख	i	साधारण शेयर	खां		
	ii	अधिमानी शेयर	खाii		
	iii	डिबेन्चर	खाiii		
	iv	कुल (खां + खाii + खाiii)		बiv	
ग	कुल विनिधान ( काiii + खiv)		2c		
3	चालू आस्ति ऋण और अग्रिम				
a	चालू आस्तियां				
	i	सूचियां			
		क	भंडार, खपत योग्य और पैकिंग सामग्री	i क	
		ख	कच्चा माल	i ख	
		ग	प्रक्रियागत में स्टॉक	i ग	
		घ	तैयार माल/व्यवसाय किया गया माल	i घ	
	ङ	कुल (i क + i ख + i ग + i घ)		i ङ	
	ii	विविध देनदार			
		क	छह मास से अधिक	ii क	
		ख	अन्य	ii ख	
	ग	कुल (ii क + ii ख)		ii ग	
	iii	नकदी और बैंक अतिशेष			
		क	हाथ में नकदी	iii क	
		ख	बैंक में अतिशेष	iii ख	
	ग	कुल (iii क + iii ख)		iii ग	
iv	अन्य चालू आस्तियां			काiv	
v	कुल चालू आस्तियां (i ङ + ii ग + iii ग + काiv)			कv	
ख	ऋण और अग्रिम				
	i	समनुषंगी कंपनियों को ऋण	खां		
	ii	नकद में या वस्तु में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त करने योग्य मूल्य के लिए	खii		
	iii	निक्षेप	खiii		
	iv	राजस्व प्राधिकरणों आदिके पास अतिशेष	खiv		
	v	कुल (खां + खii + खiii + खiv)		खv	
ग	कुल (कv + खv)			3 ग	
घ	चालू दायित्व और उपबंध				
	i	चालू दायित्व			
		क	विविध लेनदार	i क	
		ख	पट्टाकृत आस्तियों के लिए दायित्व	i ख	
		ग	असंदत्त लाभांश	i ग	
		घ	असंदत्त परिपक्व डिबेन्चर	i घ	
		ङ	असंदत्त मांग धन	i ङ	
		च	उपरोक्त प्रोद्युक्त ब्याज	i च	
		छ	ऋण पर प्रोद्युक्त किंतु शोध्य नहीं ब्याज	i छ	
	ज	कुल (i क + i ख + i ग + i घ + i ङ + i च + i छ)		i ज	
	ii	उपबंध			
		क	आयकर के लिए उपबंध	ii क	
ख	अनुषंगी लाभ कर के लिए उपबंध	ii ख			

	ग	घन कर के लिए उपबंध	ii ग	
	घ	छुट्टी भुनाने/अधिवार्षिकी/उपदान के लिए उपबंध	ii घ	
	ङ	अन्य उपबंध	ii ङ	
	च	प्रस्तावित लाभांश	ii च	
	छ	लाभांश पर कर	ii छ	
	ज	योग (ii क + ii ख + ii ग + ii घ + ii ङ + ii च + ii छ)	ii ज	
	iii	कुल (i ज + ii ज)	घiii	
	ड	शुद्ध चालू आस्ति (3ग - घiii)	3 ड	
4	क	प्रकीर्ण व्यय, जो अपलिखित या समायोजित नहीं किया गया	4 क	
	JÉ	आस्थगित कर +ÉÉÉÉÉÉ	4ख	
	ग	लाभ हानि लेखा	4 ग	
	घ	कुल (4 क + 4 ख + 4 ग)	4घ	
5		कुल, निधियों का उपयोगन (1 ड + 2 ग + 3 ङ+4घ)	5	

**भाग क-लाभ और हानि**

सांपत्तिक कारबार का पूर्व वर्ष 2008-09 के लिए लाभ हानि लेखा

(उस दशा में जहां लेखा की नियमित बहियां का अनुरक्षण किया जाता है मद 1 से 50 भरे, अन्यथा मद 51 भरे)

जमा	1	कारबार या वृत्ति के विक्रय/सकल प्राप्तियां (शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो)		1	
	2	विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर			
		क	संघ उत्पाद शुल्क	2क	
		ख	सेवा कर	2ख	
		ग	मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	2ग	
		घ	कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ	
		ङ	प्राप्त या प्राप्य शुल्कों, करों और उपकर का योग (2क+2ख+2ग+2घ)	2ङ	
	3	अन्य आय			
		क	किराया	3क	
		ख	कमीशन	3ख	
	ग	लाभांश	3ग		
	घ	ब्याज	3घ		
	ङ	विक्रय या नियत आस्तियों पर लाभ	3ङ		
	च	ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य प्रतिभूतियां हैं	3च		
	छ	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3छ		
	ज	करेंसी उतार-चढ़ाव पर लाभ	3ज		
	झ	कृषि आय	3झ		
	ञ	कोई अन्य आय	3ञ		
	ट	अन्य आय का योग [(क) से (ञ)]	3ट		
	4	बंद स्टॉक		4	
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा का योग (1+2ङ+3ट+4)		5	
विकलन	6	आरंभिक स्टॉक		6	
	7	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)		7	
	8	क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संदत्त या संदेय शुल्क और कर			
		क	सीमा शुल्क	8क	
		ख	प्रति शुल्क	8ख	
		ग	विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग	
		घ	संघ उत्पाद शुल्क	8घ	
		ङ	सेवा कर	8ङ	
		च	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	8च	
		छ	कोई अन्य कर, संदत्त या संदेय	8छ	
	ज	योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ङ+8च+8छ)	8ज		
	9	भाड़ा		9	

10	भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग	10	
11	विद्युत और ईंधन	11	
12	किराया	12	
13	भवन की मरम्मत	13	
14	मशीनरी की मरम्मत	14	
15	कर्मचारियों को प्रतिकर		
	क	वेतन और मजदूरी	15क
	ख	बोनस	15ख
	ग	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	15ग
	घ	छुट्टी नकदीकरण	15घ
	ङ	छुट्टी यात्रा फायदा	15ङ
	च	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च
	छ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ
	ज	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ
	ञ	कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है	15ञ
	ट	संदत और संदेय अनुषंगी फायदा कर	15ट
	ठ	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ +15च+15छ+15ज+15झ+15ञ+15ट)	15ठ
16	बीमा		
	क	चिकित्सा बीमा	16क
	ख	जीवन बीमा	16ख
	ग	प्रमुख व्यक्ति का बीमा	16ग
	घ	अन्य बीमा	16घ
	ङ	बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)	16ङ
17	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय		17
18	मनोरंजन		18
19	सत्कार		19
20	सम्मेलन		20
21	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञान से भिन्न)		21
22	विज्ञापन		22
23	कमीशन		23
24	होटल, बोर्डिंग और वासा		24
25	विदेश यात्रा सहित यात्रा व्यय		25
26	वाहन खर्च		26
27	टेलीफोन व्यय		27
28	अतिथि गृह व्यय		28
29	क्लब व्यय		29
30	उत्सव समारोह व्यय		30
31	छात्रवृत्ति		31
32	दान		32
33	संदान		33
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर)		
	क	संघ उत्पाद शुल्क	34क
	ख	सेवा कर	34ख
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	34ग
	घ	उपकर	34घ
	ङ	एसटीटी सहित कोई अन्य रेट, कर, शुल्क या उपकर	34ङ
	च	संदत्त या संदेय कुल रेट और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)	34च
35	लेखा परीक्षा		35
36	अन्य व्यय		36

कर और विनियोग के लिए उपबंध	37	डूबंत ऋण	37	
	38	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	38	
	39	अन्य उपबंध	39	
	40	ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [5 -(6+7+8छ +9से 14+15ठ +16क +17से 33+34घ+35 से 39)]	40	
	41	ब्याज	41	
	42	अवक्षयण	42	
	43	कर पूर्व लाभ (39-40-41)	43	
	44	चालू कर के लिए उपबंध	44	
	45	अनुषंगी लाभ कर के लिए उपबंध	45	
	46	आस्थिगत कर के लिए उपबंध	46	
	47	कर पश्चात् लाभ (43 - 44 - 45- 46)	47	
	48	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष	48	
	49	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (48+ 48)	49	
	50	विनियोग		
		क आरक्षित और अधिशेष में अंतरण	50 क	
		ख प्रस्तावित लाभांश	50 ख	
		ग लाभांश पर कर	50 ग	
		घ पूर्व वर्षों के लिए लाभांश पर कर	50 घ	
		ङ कुल (50 क+ 50 ख + 50 ग + 50 घ)	50 ङ	
	51	तुलन पत्र पर लिया गया अतिशेष (49 - 50ङ)	51	

**भाग क- अन्य जानकारी** अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	3	धारा 145 के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति में विचलन के कारण, यदि कोई हो, लाभ पर प्रभाव	3
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	
		क कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	<input type="checkbox"/>
		घ धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-	
		क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मर्दे हैं	5क
		ख सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर का प्रोफार्मा जमा, वापसी, प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, जहां ऐसा जमा, वापसी या प्रतिदायों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय माना गया है	5ख
		ग पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
		घ आय की कोई अन्य मद	5घ
		ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
	च लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च	
6	धारा 36 के अधीन नामंजूर सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकम-		
	क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6क	
	ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6ख	

ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी		
घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम	6घ	
ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ	
च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6च	
छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम	6छ	
ज	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज	
झ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6झ	
ञ	दूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ	
ट	दूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	6ट	
ठ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम	6ठ	
ड	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय	6ड	
ढ	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ	
ण	कोई अन्य अनुज्ञेय	6ण	
त	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)		6त
7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय	7क	
ख	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय	7ख	
ग	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ग	
घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7घ	
ङ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7ङ	
च	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च	
छ	ऐसी आय के संबंध में व्यय की रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनती	7छ	
ज	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ज	
झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)		7झ
8	$v\acute{E}\acute{E}\textcircled{E} 40 B\acute{E}\acute{E}\grave{a} +\acute{E}v\acute{E}\acute{E}\textcircled{O}x\acute{E} +\acute{E}x\acute{E}x\acute{E}\textcircled{O}Y\acute{E}\grave{a}\acute{E} \textcircled{E}\acute{E}\textcircled{O}a\acute{E}\acute{E} \textcircled{E}B\acute{E}\acute{E} \grave{a}\acute{E}\acute{E}\acute{E}\acute{E} +\acute{E}\acute{E}\textcircled{e}\textcircled{O}c\acute{E}\acute{E}\acute{E}\acute{E}x\acute{E} \grave{a}\acute{E}\grave{a}J\acute{E}\acute{E} \grave{a}\acute{E}\grave{a} \acute{E}\acute{E} \textcircled{E}B\acute{E}\acute{E}\acute{E}\acute{E}\acute{a}\acute{E}i\acute{E} \textcircled{O}B\acute{E}\acute{E}\acute{a}\acute{E}$		
	क अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(ik) और धारा 40 (क)(iii) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक	
	J\acute{E} अनुषंगी लाभ कर के रूप में संदत्त रकम	अख	
	M\acute{E} लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अग	
	P\acute{E} धनकर के रूप में संदत्त रकम	अघ	
	R किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अङ	
	S\acute{E} कोई अन्य अनुज्ञेय	अच	
	U धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अच का योग)	अच	
			8अV
आ	$\acute{E}\acute{E}B\acute{E}\acute{E}\textcircled{E}\textcircled{E}\textcircled{O} \{ \acute{E}U \acute{E}C M\acute{E}\acute{E}\acute{E}\acute{a}\acute{E}\acute{E}\textcircled{O} \{ \acute{E}U \acute{E}C \acute{E} - \acute{E}C \grave{a}\acute{E}\acute{a} v\acute{E}\acute{E}\textcircled{E} 40 B\acute{E}\acute{E}\grave{a} +\acute{E}v\acute{E}\acute{E}\textcircled{O}x\acute{E} +\acute{E}x\acute{E}x\acute{E}\textcircled{O}Y\acute{E}\grave{a}\acute{E} \acute{E}\acute{E}B\acute{E}\acute{E}x\textcircled{E}\textcircled{O} \{ \acute{E}U \acute{E}C \acute{E} - \acute{E}C B\acute{E}\acute{E}\grave{a} n\acute{E}\textcircled{e}\textcircled{O}\acute{E}x\acute{E} +\acute{E}x\acute{E}x\acute{E}\textcircled{O}Y\acute{E}\grave{a}\acute{E} \textcircled{O}B\acute{E}\acute{E}\acute{a}\acute{E}$		8आ
9	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
ख	धारा 40(3) के अधीन एकाउन्ट पेई चेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से भिन्न संदत्त रकम-100% अनुज्ञेय	9ख	
ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध	9ग	



	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6 ख
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6 ग
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6 घ
	ङ	अंतिम स्टॉक	6 ङ
	च	समाप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च
	छ	समाप्त का प्रतिशत	6 छ
	ज	कमी/अधिक्य यदि कोई हो	6 ज
7		तैयार उत्पाद/सह उत्पाद	
	क	आरंभिक स्टॉक	7 क
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7 ख
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7 घ
	ङ	अंतिम स्टॉक	7 ङ
	च	कमी/अधिक्य यदि कोई हो	7 च

**भाग ख कुल आय**      कुल आय की संगणना

1	गृह संपत्ती से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4ग) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)			1
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि			
	i	सट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क33) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2i	
	ii	सट्टे का कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क37) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2ii	
	iii	कुल (2i+2ii)		2iii
3	पूंजी अभिलाम			
	क	अल्पकालिक		
	i	अल्पकालिक (111क के अधीन) (अनुसूची सीजी का ए7)	3 का	
	ii	अल्पकालिक (अन्य) (अनुसूची सीजी का ए8)	3 काii	
	iii	कुल अल्पकालिक (3क i+ 3काii) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	3 काiii	
	ख	दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी का ख6) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	3 ख	
	ग	कुल पूंजी अभिलाम (3 काiii + 3 ख)		3 ग
4	अन्य स्रोतों से आय			
	क	घुड़दौड़ के स्वामित्व से भिन्न स्रोतों से (ओएस अनुसूची का 3) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	4 क	
	ख	घुड़दौड़ के स्वामित्व से (ओएस अनुसूची का 4ग) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	4 ख	
	ग	कुल (क+ ख)		4 ग
5	कुल (1 + 2ग + 3ग + 4ग)			5
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ष की हानियां (सीवाईएलए अनुसूची का कुल 2वीआई, 3वीआई तथा 4वीआई)			6
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेष (5-6)			7
8	7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रसारित हानि लाए (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2वीआई, 3वीआई तथा 4वीआई)			8
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए का 5 vii भी)			9
10	अध्याय 6-क के अधीन कटौतियां (अनुसूची 6क का ठ)			10
11	कुल आय (9-10)			11
12	शुद्ध कृषि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 4)			12
13	“सकल आय” (11 + 12)			13
14	चालू वर्ष की हानिया जो अग्रसारित की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xi) का योग			14
15	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 6)			15

**भाग ख -टीटीआई**      कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	धारा 15 जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 7 )	1
2	भाग ख-ti की मद 11 कुल आय पर संदेय कर	

	क	मामूली दरों पर कर	2 क			
	ख	विशेष दरों पर कर	2 ख			
	ग	भाग ख-टीआई (2क + ख)की मद 11 में कुल आय पर संदेय कर			2 ग	
	3	सकल संदेय कर (2ग और 1 की उच्चतर प्रविष्ट करें)			3	
	4	पूर्ववर्ष में धारा 115 में यक्क के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2ग 1 से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का साथ)			4	
	5	धारा कक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर (3-4)			5	
	6	5 पर अधिभार			6	
	7	(5+6) पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर			7	
	8	सकल का दायित्व (5+6+7)			8	
	9	कर अनुतोष				
	क	धारा 90	9क			
	ख	धारा 91	9ख			
	ग	कुल (9क + 9ख)		9ग		
10	शुद्ध कर दायित्व (8 --9ग)			10		
11	संदेय ब्याज					
	क	विवरणी देने में चूक के लिए (धारा 234क)	11क			
	ख	अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए (धारा 234ख)	11ख			
	ग	अग्रिम कर आस्थगन के लिए	11ग			
	घ	कुल संदेय ब्याज (11 क+11 ख+11 ग)		11घ		
12	सकल दायित्व (10 + 11 घ)			12		
देय कर	13	संदत्त कर				
		क	अग्रिम कर (अनुसूची आईटी से )	13 क		
		ख	टीडीएस (अनुसूची टीडीएस 2 का स्तंभ 8)	13 ख		
		ग	टासीएस (अनुसूची टीसीएस 2 का स्तंभ 8)	13 ग		
		घ	स्वयं निर्धारण कर (अनुसूची आईटी से)	13 घ		
		ङ	कुल संदत्त कर (13क+13ख+13ग + 13घ)		13ङ	
14	संदेय रकम (यदि 12 13ङ से अधिक है तो शून्य प्रविष्ट करें)			14		
15	प्रतिदाय (यदि 13ङ 12 से अधिक है) अनुसूची बीए बैंक लेखा ब्योरे दें			15		

भाग-ग

भाग-ग अनुबंधी फायदा और अनुबंधी फायदों की संगणना

अनुबंधी फायदा और अनुबंधी फायदों की संगणना	1	अनुबंधी फायदों का मूल्य			
		क	पहली तिमाही के लिए	1 क	
		ख	दूसरी तिमाही के लिए	1ख	
		ग	तीसरी तिमाही के लिए	1ग	
		घ	चौथी तिमाही के लिए	1घ	
	ङ	कुल अनुबंधी फायदा (1क + 1ख + 1ग + 1घ) ( अनुसूची -चख का 24 iv )			1ङ
	2	संदेय अनुबंधी फायदा कर [ 1ङ का 30% ]			2
	3	2 पर अधिभार			3
	4	(2 + 3) पर शिक्षा उपकर			4
	5	कुल अनुबंधी फायदा कर दायित्व (2 + 3 + 4)			5
6	संदेय ब्याज				
	क	अग्रिम कर में संदेय के व्यतिक्रम लिए ( धारा 115बग (3))	6 क		
	ख	विवरणी प्रस्तुत करने की व्यतिक्रम के लिए (धारा 115 बट)	6ख		
	ग	कुल संदेय ब्याज		6 ग	
7	सकल दायित्व (5 + 6 ग)			7	
8	संदत्त ब्याज				
	क	अग्रिम अनुबंधी फायदाकर ( एफ बीटी अनुसूची से )	8 क		

ख	स्व निर्धारण कर पर) (एफ बीटी अनुसूची से)	8 ख	
ग	कुल संदत्त कर (8क + 8ख)	8	M
9	संदेय कर ( यदि 8ग से 7 अधिक हो तो प्रविष्ट करें अन्यथा 0 प्रविष्ट करें )	9	E
10	प्रतिदाय (प्रविष्ट करें यदि 7 8ग से अधिक है, अन्यत्र 0 प्रविष्ट करें)	10	

सत्यापन

मैं.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्या.....का धारक हूँ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2009-2010 से सुसंगत पूर्व वर्ष के कर के लिए प्रभार्य अनुषंगी फायदों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं —————की हैसियत में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

यहां हस्ताक्षर करें।

अनुसूची खक	प्रतिदाय के मामले में कृपया उस बैंक खाते के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें जिसमें प्रतिदाय का प्रत्यय किया जाना है									
1	बैंक खाता सं० प्रविष्ट करें ( प्रतिदाय के मामले में अनिवार्य)									
2	क्या आप अपना प्रतिदाय <input type="checkbox"/> चैक या <input type="checkbox"/> अपने बैंक खाते में सीधे जमा करके चाहते हैं ? (जैसा लागू हो सही निशान लगाएं <input checked="" type="checkbox"/> )									
3	अपने बैंक खाते में सीधे जमा की दशा में अतिरिक्त ब्यौरे दें									
	एमआईसीआर कोड								खाते का प्रकार (जैसा लागू हो सही निशान लगाएं <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> बचत <input type="checkbox"/> चालू	

अनुसूची जत	गृह संपत्ति से आय का ब्योरा									
गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड					
		<input checked="" type="checkbox"/> निशान लगाएं, यदि <input type="checkbox"/>	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)						
	क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)	1 क							
	ख	किराए का रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती है	1 ख							
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1 ग							
	घ	कुल (1 ख + 1 ग)	1 घ							
	ङ	शेष (1 क - 1 घ)	1 ङ							
	च	1ङ का 30%	1 च							
	छ	उधार ली गई संपत्ति पर संदेय ब्याज	1 छ							
	ज	कुल (1 च + 1 छ)	1 ज							
झ	गृह संपत्ति से आय 1 (1 ङ - 1 ज)	1 झ								
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड						
	<input checked="" type="checkbox"/> निशान लगाएं, यदि किराए पर दिया गया <input type="checkbox"/>	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)							
क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)	2 क								
ख	किराए का रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती	2 ख								
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2 ग								
घ	कुल (2 ख + 2 ग)	2 घ								
ङ	शेष (2 क - 2 घ)	2 ङ								
च	2ङ का 30%	2 च								

	छ उधार ली गई पूंजी पर सदेय ब्याज	2 छ	
	ज कुल (2 च + 2 छ)		2 ज
	झ गृह संपत्ति 2 से आय (2 ड - 2 ज)		2 झ
3	संपत्ति 3 का पता	नगर/ शहर	राज्य
			पिन कोड
	<input checked="" type="checkbox"/> निशान लगाएं, यदि किराये पर दिया गया <input type="checkbox"/>	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)
क	वार्षिक किराए योग्य मूल्य / प्राप्त या प्राप्त किया गया किराया (अधिक, यदि संपूर्ण वर्ष के लिए किराए पर दिया गया, कम, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया)		3 क
ख	किराए का रकम जिसकी वसूली नहीं की जा सकती	3 ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	3 ग	
घ	कुल (3 ख + 3 ग)	3 घ	
ड	शेष (3 क - 3 घ)		3 ड
च	3 ड का 30%	3 च	
छ	उधार ली गई पूंजी पर सदेय ब्याज	3 छ	
ज	कुल (3 च + 3 छ)		3 ज
झ	गृह संपत्ति 3 से आय (3 ड - 3 ज)		3 झ
4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय		
क	धारा 25क / कक के अधीन वसूल किया गया किराया		4 क
ख	30 % कटौती के पश्चात् धारा 25क / कक के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया किराया		4 ख
ग	कुल (4 क + 4ख + 1 झ + 2 झ + 3 झ)		4 ग

<b>अनुसूची - कारबार या वृत्ति</b>		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना	
कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति	
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क पी और एल का मद 43 या 52घ)	1
	2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	2
	3	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रशीदें	3
	4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कड/44कच/44खख/44खख/44खखख/अध्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है	
		क फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क
		एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख
		BÉÉÉä<Ç +ÉxªÉ UUJ  ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ	5ग
		कुल आय पर छूट	5घ
	6	बकाया (1-2-3-4-5घ)	6
	7	आय के अन्य शीर्षों के विचाराधीन	7
	8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है	8
	9	कुल (7 + 8)	9
	10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10
	11	9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवज्ञयण	11
	12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण	
		i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i
		ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी	12ii
	iii कुल (12i + 12ii)	12iii	
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13	
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6त)	14	
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7उ)	15	
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कछ)	16	
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 9ड)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं	18	
19	सुक्ष्म लPु Aवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की vÉÉ®É 23 BÉÉä +ÉvÉÉÖxÉ +ÉxÉxÉÖYÉäªÉ	19	



2	दर (%)	15	30	40	50	60	80	100
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को लिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली							
6	वह रकम जिस पर पूर्ण दर पर अवक्षयण अनुज्ञात है (3+ 4+ 5) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिकर या अन्य सुव्यवस्थाकरण							
9	वह रकम जिस पर अवक्षयण आधे दर पर अनुज्ञात है (7-8) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है)							
10	पूर्ण दर पर 6 का अवक्षयण							
11	आधी दर पर 9 का अवक्षयण							
12	अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो, 4 पर							
13	अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो, 7 पर							
14	कुल अवक्षयण * (10 + 11 + 12 + 13)							
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाम/हानि (5+ 8-3-4-7-15) (शून्य प्रविष्ट करें यदि ब्लाक नहीं रहता है)							
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अपलिखित मूल्य (6+ 9-14) (शून्य प्रविष्ट करें यदि परिणाम नकारात्मक है)							

**अनुसूची-अन्य आस्तियों पर अवक्षयण**

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

1	आस्ति-समूह	भवन			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
2	दर (%)	5	10	100	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
6	रकम जिस पर अवक्षयण पूर्ण दर पर अनुज्ञात है (3+4-5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
7	पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
9	रकम जिस पर अवक्षयण आधी दर पर अनुज्ञात है 7-8 (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण						
11	9 पर आधी दर पर अवक्षयण						
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)						
15	आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय						

16	घारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि* (5 + 8 -3-4 -7 -15) (BÉEà`ÉàÉ xÉBÉÉÉ@ÉiàÉBÉE ÉÉàÉJÉà`ÉÉÉÉn pāÉÉBÉE xÉcÉÓ @ciÉÉ)					
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -14) (ÉÉÉÉn {ÉÉÉ@hÉÉàÉ xÉBÉÉÉ@ÉiàÉBÉE cè iÉÉà`ÉÉUx`É ÉÉàÉJÉà)					

**अनुसूची—डीईपी**

**आस्ति पर अवक्षयण सारांश**

आस्ति पर अवक्षयण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14i)	1 क		
	ख	30 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14ii)	1 ख		
	ग	40 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14iii)	1 ग		
	घ	50 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14iv)	1 घ		
	ङ	60 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14v)	1 ङ		
	च	80 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14vi)	1 च		
	छ	100 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-14vii)	1 छ		
	ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण ( 1क+ 1ख+ 1ग+ 1घ+ 1ङ+ 1च + छ)	1 ज		
	2	भवन			
क	5 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-14i)	2 क			
ख	10 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-14ii)	2 ख			
ग	100 प्रतिशत की दर पर अवक्षयण के लिए पात्र ब्लाक (अनुसूची डीओए-14iii)	2 ग			
घ	भवन पर कुल अवक्षयण (2क + 2 JÉ + 2 MÉ)	2 घ			
3	फर्नीचर और फिटिंग्स (अनुसूची डीओए - 14iv)	3			
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए - 14v)	4			
5	पोत (अनुसूची डीओए - 14vi)	5			
6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)	6			

**अनुसूची डीसीजी**

**अवक्षयी आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ**

1	संयंत्र और मशीनरी		
क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16i)	1 क	
ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16ii)	1 ख	
ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16iii)	1 ग	
घ	50% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16iv)	1 घ	
ङ	60% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16v)	1 ङ	

	च	80% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16vi)	1च		1ज
	छ	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीपीएम - 16vii)	1छ		
	ज	योग (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)			
	2	भवन			2घ
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16i)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16ii)	2ख		
	ग	100% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार समूह (अनुसूची डीओए - 16iii)	2ग		
	घ	योग (2क+2ख+2ग)			
	3	फर्नीचर और फिटिंग्स (अनुसूची डीओए - 16iv)			3
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए - 16v)			4
5	पोत (अनुसूची डीओए - 16vi)			5	
6	योग (1ज+2घ+3+4+5)			6	

### अनुसूची इ एसआर

धारा 35 के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अअ)			
vi	35(2अआ)			
vii	योग			

### अनुसूची सीजी

पूंजी अभिलाभ

क्र. सं.	धारा	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	
पूंजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			
	1	मंदा में विक्रय से			
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
	ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
	ग	मंदा में विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग		
	घ	धारा 54ख/54घ/54छ/54झक के अधीन कटौतियां	1घ		
	ङ	मंदा में विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)		1ङ	
	2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियों से, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है			2
	3	अन्य आस्तियों से			
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
i	अर्जन की लागत	खi			
ii	सुधार की लागत	खii			
iii	अंतरण पर व्यय	खiii			
iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	खiv			
ग	अतिशेष (3क-खiv)	3ग			
घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन अनदेखी की जाने वाली हानि, यदि कोई (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	3घ			
घ	धारा 54ख/54घ/54छ/54झक के अधीन छूट	3घ			
ङ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3ग-3घ-3ङ)			3ङ	
4	अवक्षयी आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			4	
5	धारा 54ख/54घ/54छ/54झक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमे			5	
6	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ङ+2+3ङ+4+5)			6	
7	6 में सम्मिलित किया गया धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			7	
8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (6-7)			8	
आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ				
1	मंदा में विक्रय से				

	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क				
	ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख				
	ग	मंदा में विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग				
	घ	धारा 54ख/54घ के अधीन छूट	1घ				
	ङ	मंदा में विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)			1ङ		
2		ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियां, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है			2		
3		ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है					
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
	i	सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi				
	ii	सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii				
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii				
	iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv				
	ग	अतिशेष (3क-खiv)	3ग				
	घ	धारा 54ख/54घ/54ङग/54छ/54छक के अधीन कटौती	3घ				
	ङ	शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)			3ङ		
4		ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है					
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi				
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii				
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii				
	iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv				
	ग	अतिशेष (4क-खiv)	4ग				
	घ	धारा 54ख/54घ/ 54ङग/54छ/54छक के अधीन छूट	4घ				
	ङ	शुद्ध अतिशेष			4ङ		
5		धारा 50ख/54घ/54ङग/54ङघ/54छ/54छक के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमे			5		
6		कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +2+3ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +4ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +5)			आ6		
अर्थ		“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ8+आ6)(यदि हानि है तो 36 प्रविष्ट करें)			इ		
अर्थ		पूंजी अभिलाभ के प्रोद्भवन/प्राप्ति के संबंध में सूचना					
	1	तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 तक (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
	2	दीर्घकालिक					
	3	अल्पकालिक					

### अनुसूची ओएस

अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	दोड़ के घोड़े (घोड़ों) के स्वामित्व से होने वाली आय से भिन्न आय				
	क	लामांश, सकल	1क			
	ख	ब्याज, सकल	1ख			
	ग	मशीनरी, संयंत्र, भवन के किराए से आय	1ग			
	घ	अन्य, सकल	1घ			
	ङ	योग (1क+1ख+1ग+1घ)				1ङ
	च	धारा 57 के अधीन कटौतियां :-				
	i	व्यय	चi			
	ii	अवक्षयण	चii			
	iii	योग	चiii			
	छ	अतिशेष (1ङ-चiii)				1 छ
	2	लाटरी, वर्ग पहेली, पहेली दोड़ों आदि से जीत				2
	3	अन्य स्रोतों से आय (दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1छ + 2) (यदि हानि है तो 1 छ के लिए शून्य लिखें)				3
	4	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से आय				
	क	प्राप्तियां	4 क			
ख	(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	4 ख				
ग	अतिशेष (2 क - 2 ख)				4 ग	
5	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3 + 4 ग) (यदि हानि है तो 4 ग को शून्य लिखें और 4 ग की हानि के अंक को अनुसूची सीएफएल में लें)				5	

### अनुसूची सीवाईएलए

चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौर

6अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	क्र. सं.	शीर्ष/ आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष बची आय
				कुल हानि (अनुसूची एचपी का 4ग)	कुल हानि (अनुसूची बीपी का 31)	कुल हानि (अनुसूची ओएस का 3)	
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
		समायोजित की जाने वाली हानि					
	i	गृह संपत्ति					
	ii	कारबार (सट्टेबाजी लाभ को छोड़कर)					
	iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
	iv	दीर्घकालिक अभिलाभ					
v	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ सहित)						
vi	मुजरा की गई कुल हानि						
vii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि						

अनुसूची बीएफएलए		पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय का विवरण					
अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	क्र. सं.	शीर्ष/ आय का स्रोत	चालू वर्ष की हानियों का यदि कोई हो, मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे (अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत अवक्षयण का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
			1	2	3	4	5
	i	गृह संपत्ति					
	ii	कारबार (सट्टेबाजी लाभ सहित)					
	iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
	iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
	v	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से लाभ)					
	vi	अग्रणीत हानियों के मुजरे का योग					
vii	योग का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (i5 + ii5 + iii5 + iv5+v5+vi5)						

अनुसूची सीएफएल		हानियों का अग्रनयन						
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (ता/ मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टेबाजी कारबार से हानि से भिन्न कारबार हानि	सट्टेबाजी कारबार से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य स्रोतों से हानि (घुड़दौड़ से भिन्न)
i	2001-02							
ii	2002-03							
iii	2003-04							
iv	2004-05							
v	2005-06							
vi	2006-07							
vii	2007-08							
viii	2008-09							
ix	पूर्व वर्षों की हानियों का योग							

x	अनुसूची बीएफएलए में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन							
xi	2009-10 ( चालू वर्ष की हानियां)							
xii	भावी वर्षों में अग्रनीत की गई कुल हानि							

**अनुसूची 10 क** धारा 10 क के अधीन कटौती

धारा 10क के अधीन कटौतियां	1	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	1क			
	ख	उपक्रम संख्या.2	1ख			
	ग	उपक्रम संख्या.3	1ग			
	घ	उपक्रम संख्या.4	1घ			
	ङ	उपक्रम संख्या .5	1ङ			
		योग (1 क+ 1 ख+ 1 ग+ 1 घ + 1 ङ)			1	
	2	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	2क		2 घ	
	ख	उपक्रम संख्या.2	2ख			
	ग	उपक्रम संख्या.3	2ग			
	घ	योग (2 क + 2 ख+ 2 ग)				
	3	मुक्त व्यापार जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	3क		3घ	
	ख	उपक्रम संख्या.2	3ख			
	ग	उपक्रम संख्या.3	3ग			
	घ	योग (3 क + 3 ख+ 3 ग)				
	4	निर्यात प्रसंस्करण जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	4क		4घ	
	ख	उपक्रम संख्या.2	4ख			
	ग	उपक्रम संख्या.3	4ग			
	घ	योग (4 क + 4 ख+ 4 ग)				
	5	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	5क		5घ	
	ख	उपक्रम संख्या.2	5ख			
ग	उपक्रम संख्या.3	5ग				
घ	योग (5 क + 5ख+ 5 ग)					
6	(1क + 2 घ + 3घ + 4घ + 5घ) का योग			6		

**अनुसूची 10कक** धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	क		
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख		
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग		
	घ	योग ( क + ख+ ग)			

**अनुसूची 10ख** धारा 10ख के अधीन कटौती

धारा 10ख के अधीन कटौती	शतप्रतिशत निर्यातान्मुख इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	क		
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख		
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग		
	घ	उपक्रम संख्या.4	घ		
	ङ	उपक्रम संख्या.5	ङ		
	च	योग ( क + ख+ ग + घ + ङ)			

**अनुसूची 10खक** धारा 10खक के अधीन कटौती

धारा 10खक के अधीन कटौती	हस्तनिर्मित काष्ठ वस्तुओं के निर्यात की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	क		
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख		
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग		

घ	उपक्रम संख्या.4	घ	
ङ	उपक्रम संख्या.5	ङ	
च	योग ( क + ख+ ग + घ + ङ)	च	

अनुसूची 80 छ		धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए पात्र संदानों के ब्यौरे	
संदानों के ब्यौरे	अ	शतप्रतिशत कटौती के लिए पात्र संदान	
		संदानकर्ता का नाम और पता	संदान की रकम
		i	आi
		ii	आii
		iii	आiii
		iv	आiv
		v	आv
		vi	आvi
		योग	आvi
	आ	जहां संदानकर्ता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, 50% कटौती के लिए पात्र संदान	
		संदानकर्ता का नाम और पता	संदान की रकम
		i	आi
		ii	आii
		iii	आiii
		iv	आiv
		v	आv
		vi	आvi
		योग	आvi
इ	जहां संदानकर्ता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, 50% कटौती के लिए पात्र संदान		
	संदानकर्ता का नाम और पता	संदानकर्ता का स्थायी लेखा संख्या	संदान की रकम
	i		इi
	ii		इii
	iii		इiii
	iv		इiv
	v		इv
	vi		इvi
	कुल		इvi
शु	कुल संदान (अvi+ आvi+ ईvi)		ई

अनुसूची 80 झक		धारा 80झक के अधीन कटौतियां	
धारा 80झक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क
	ख	धारा 80झक (4) (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख
	ग	धारा 80झक (4) (iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोनों में)	ग
	घ	धारा 80झक (4) (iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत)	घ
	ङ	धारा 80झक (4) (v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन संयंत्र का पुनरुज्जीवन और धारा 80 झक (4)( vi) में निर्दिष्ट किसी उपकरण के लाभों के संबंध में कटौती [ पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क])	ङ
	च	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियां ( क + ख + ग + घ)	

अनुसूची-80- झख		धारा 80झख के अधीन कटौतियां	
धारा 80झख के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झख (3) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (लघु उद्योग)	क
	ख	जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (4))	ख
	ग	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख (4))	ग

घ	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80इख (5))	घ	
ड	बहुविध थियटर्स की बाबत कटौतियां (धारा 80इख (7 क))	ड	
च	कन्वेंशन केन्द्रों की बाबत कटौतियां (धारा 80इख (7ख))	च	
छ	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौतियां (धारा 80इख (8 क))	छ	
ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में, जो वाणिज्यिक उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ करता है की बाबत कटौतियां (धारा 80इख (9))	ज	
झ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो आवसीय परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80इख (10))	झ	
ञ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80इख (11))	ञ	
ट	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्करण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80इख (11))	ट	
ठ	खाद्यानों की उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की बाबत कटौती (धारा 80इख (11 क))	ठ	
ड	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80इख (11 ख))	ड	
ढ	धारा 80इख के अधीन कुल कटौतियां (क से ड का योग)	ढ	

<b>अनुसूची-80- झग या 80इड.</b>		<b>धारा 80इग या 80इड. के अधीन कटौतियां</b>	
धारा 80 इग के अधीन कटौतियां	1	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	1
	2	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	2
	3	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	3
	4	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	
	क	असम	4क
	ख	अरुणाचल प्रदेश	4ख
	ग	मणिपुर	4ग
	घ	मिजोरम	4घ
	ङ	मेघालय	4ङ
	च	नागालैंड	4च
छ	त्रिपुरा	4छ	
ज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का कुल योग (4क से 4छ का योग)	4 ज	
5	धारा 80इग के अधीन कुल कटौतियां (1 + 2 + 3 + 4 ज)	5	

<b>अनुसूची-VI- क</b>		<b>अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां</b>	
कुल कटौतियां	क	80छ	छ 80इख (अनुसूची 80 इख का ढ )
	ख	80छछक	ज 80 इग/इड. (अनुसूची 80 इग/80 इड. का 5)
	ग	80छछख	झ 80 इघ/ जजकक
	घ	80छछग	ञ 80जजकक
	ङ	80इक(अनुसूची 80 इक का च)	ट 80 ढक
	च	80 इकख	
प	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (क से ट का कुल योग)	ड	

**अनुसूची एसआई** विशेष दर पर आय आय-कर से झक (कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश सं. 9(iii) देखें)

विशेष दर	क्रम सं.	धारा कोड	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आर	उस पर कर ii	क्रम सं.	धारा कोड	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय	उस पर कर ii
	1			<input type="checkbox"/>				6		<input type="checkbox"/>		
2			<input type="checkbox"/>				7		<input type="checkbox"/>			
3			<input type="checkbox"/>				8		<input type="checkbox"/>			
4			<input type="checkbox"/>				9		<input type="checkbox"/>			
5			<input type="checkbox"/>				10		<input type="checkbox"/>			
11	योग (1ii से 10 ii)											

अनुसूची : ईआई छूट प्राप्त आय के ब्यारे ( कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय)

1	ब्याज से आय	1
2	लाभांश से आय	2
3	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संदाय किया गया है	3
4	शुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अपवर्जित की जाने वाली आय से भिन्न)	4
5	फर्म के लाभ में शेयर/एओपी इत्यादि	5
6	अन्य	6
7	योग (1+2+3+4+5+6)	7

अनुसूची एमएटी धारा 115अख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना

न्यूनतम बैकल्पिक दर	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 और 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 1 लिखें, यदि नहीं तो 2 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	2	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षणय की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो 1 लिखें यदि नहीं तो 2 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	3	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पूर्व लाभ भाग क पी एंड एल की मद 42 प्रविष्ट करें )	3
	4	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)	
	क	संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न)	4क
	ख	आरक्षिति (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	4ख
	ग	अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	4ग
	घ	समनुषंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	4घ
	ङ	संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	4ङ
	च	धारा 10, 10कक, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय ( धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	4च
छ	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षणय	4छ	
ज	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों सहित)	4ज	
झ	कुल कटौतियां (4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च+4छ + 4ज)	4 ZÉ	
5	कटौतियां		
क	आरक्षिति से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	5क	
ख	धारा 10, 10कक, 11 और 12 के अधीन आय धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5ख	
ग	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षणय की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	5ग	
घ	अग्रनीत की गई हानि या अवक्षणय जो भी कम हो	5घ	
ङ	रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है ।	5ङ	
च	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों सहित)	5च	
छ	कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ + 5च)	5छ	

6	धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (3+ 4i – 5छ)	6	
7	धारा 115अख के अधीन संदेय कर [(6) का 10% ]	7	

**अनुसूची एमएटीसी** धारा 115 ..... कक के अधीन जमा कर की संगणना

एमएटी प्रत्यय	1	निर्धारण वर्ष में 2008-09 में धारा 115 .....ख के अधीन कर	1	
	2	निर्धारण वर्ष में 2008-09 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2	
	3	पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्ष में जमा के लिए उपलब्ध निर्धारण वर्ष 2008-09 के बाबत एमएटी दायित्व की रकम [ (1-2 लिखे यदि 2 से बढ़ा है अन्यथा शून्य लिखें) ] निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए एमएटी प्रत्यय को अग्रणीत किया जाए	3	
	4	निर्धारण वर्ष में 2009-10 में धारा 115.....ख के अधीन कर	4	
	5	निर्धारण वर्ष में 2009-10 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	5	
	6	कर जिसके संबंध में उसे बाबत जमा उपबंध है रकम (5-4) प्रविष्ट करें यदि 5 4 से अधिक है, अथवा शून्य प्रविष्ट करें	6	
	7	धारा 115.....कक के अधीन जमा कर की रकम [3 6 का लिए प्रविष्ट करें]	7	
	8	निर्धारण वर्ष 2006-07 की बाबत एमएटी शेष जो पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के प्रत्यय के लिए उपलब्ध है (प्रविष्ट करें (3-7) यदि 3, 6 से अधिक अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें	8	
	9	निर्धारण वर्ष 2006-07 की बाबत एमएटी शेष जो पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के प्रत्यय के लिए उपलब्ध है (प्रविष्ट करें (3-7) यदि 4, 5 से अधिक अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें	9	

**अनुसूची - डीडीटी** देशी कंपनियों को वितरित लाभ पर कर और ब्याज की संगणना

लाभांश वितरण कर	1	देशी कंपनियों के किसी लाभांश लाभ के वितरण या संदाय की घोषणा की तारीख	1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान वितरित या संदत्त लाभांश की दरें		
		क अंतरिम (दर %)	2क	
		ख अंतिम (दर %)	2ख	
	3	घोषित, वितरित या संदत्त लाभांश की रकम	3	
	4	घोषित लाभांश पर संदेय कर वितरित या संदत्त		
		क धारा 115थ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय कर	4क	
		ख 4क पर अधिभार	4ख	
		ग शिक्षा उपकर (4क + 4ख)	4ग	
		घ कुल संदेय कर (4क + 4ख + 4ग)	4घ	
5	धारा 115त के अधीन संदेय ब्याज	5		
6	अतिरिक्त आयकर + संदेय ब्याज (4घ+ 5)	6		
7	संदत्त कर और ब्याज (अनुसूची 5 डीडीटीपी का योग)	7		
8	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (6-7)	8		

**अनुसूची - एफबीआई** अनुषंगी फायदा के मूल्य की संगणना के संबंध में सूचना

एफबी I	1	क्या आप भारत में और भारत के बाहर दोनों आधार पर कर्मचारी रखते हैं यदि हां, तो 1 लिखें और नहीं तो 2 लिखें	<input type="checkbox"/>
	2	यदि 1 का उत्तर हां है तो क्या आपने भारतीय और विदेश के प्रचालन के लिए पृथक् लेखा बहियां अनुरक्षित की है ? यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें ।	<input type="checkbox"/>
	3	कर्मचारियों की कुल संख्या	
		क भारत में कर्मचारियों की संख्या	3 क
		ख भारत के बाहर कर्मचारियों की संख्या	3 ख
	ग कर्मचारियों की कुल संख्या	3 ग	

**अनुसूची - एफबी** अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना

फायदों	क्रम सं..	व्यय की प्रकृति	व्यय की रकम/ मूल्य	प्रतिशत	अनुषंगी फायदे का मूल्य iv=ii x iii/ 100
		i	ii	iii	iv

1	कर्मचारियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों की प्राईवेट यात्रा के लिए उपबंधित निःशुल्क या रियायती टिकट (स्तंभ (ii) में दिया गया मूल्य जन साधारण के टिकट का मूल्य होगा, जिसमें से कर्मचारी द्वारा संदत्त या उससे वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, कम कर दी जाएगी।	1ii		100		1iv
2	किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या इक्विटी शेयर [ धारा 115बआ (1)(घ) कर्मचारी द्वारा संदत्त या से वसूल रकम और निहित तारीख पर उचित बाजार मूल्य के मध्य अंतर] और कर्मचारियों के लिए किसी अनुमोदित अधिवाषिता निधि के लिए अभिदाय (प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में एक लाख रुपए से अधिक हों)	2ii		100		2iv
3	मनोरंजन	3ii		20		3iv
4	क 4ख या 4ग या 4घ में निर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार में सत्कार	कii		20		कiv
	ख होटल कारबार में सत्कार	खii		5		खiv
	ग वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में सत्कार	गii		5		गiv
	घ पोत द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में सत्कार	घii		5		घiv
5	सम्मेलन (किसी सम्मेलन में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने की फीस से भिन्न)	5ii		20		5iv
6	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (धारा 115बख (2)(घ) के परंतुक में निर्दिष्ट किसी प्रचार व्यय से भिन्न)	6ii		20		6iv
7	कर्मचारी कल्याण	7ii		20		7iv
8	क 8ख, 8ग या 8घ में निर्दिष्ट से भिन्न कारबार में वाहन	कii		20		कiv
	ख सन्निर्माण कारबार में वहन।	खii		5		खiv
	ग औषध के निर्माण और उत्पादन के कारबार में वाहन।	गii		5		गiv
	घ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्माण और उत्पादन के कारबार में वाहन।	घii		5		घiv
9	क 9ख, 9ग, 9घ या 9ङ में विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार में होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग।	कii		20		कiv
	ख औषध निर्माण और उत्पादन के कारबार में होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग।	खii		5		खiv
	ग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्माण या उत्पादन के कारबार में होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग।	गii		5		गiv
	घ वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग।	घii		5		घiv
	ङ पोत द्वारा यात्रियों या माल के वहन का कारबार होटल, बोर्डिंग और वासा सुविधाओं का उपयोग।	ङii		5		ङiv
10	क मोटरकार द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार से भिन्न कारबार में मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अवक्षयण और उनके अवक्षय की रकम।	कii		20		कiv
	ख मोटरकार द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार में मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुरक्षण और उनके अवक्षयण की रकम।	खii		5		खiv
11	वायुयान द्वारा सवारियों या माल के वहन करने के कारबार से भिन्न कारबार में वायुयानों की मरम्मत, चालू रखना (जिसके अंतर्गत ईंधन भी है) और अनुरक्षण और उनके अवक्षयण की रकम।	11ii		20		11iv
12	पट्टे पर ली गई टेलीफोन लाइनों पर व्यय से भिन्न टेलीफोन का (जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है) उपयोग।	12ii		20		12iv
13	प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली वास सुविधा से भिन्न अतिथिगृह की प्रकृति की किसी वास सुविधा का अनुरक्षण।	13ii		20		13iv
14	उत्सव समारोह।	14i		50		14iv
15	स्वास्थ्य क्लब और वैसी ही सुविधाओं का उपयोग।	15i		50		15iv
16	किसी अन्य क्लब सुविधा का उपयोग।	16i		50		16iv
17	दान।	17i		50		17iv
18	छात्रवृत्तियां।	18i		50		18iv
19	पर्यटन और यात्राएं (जिसके अंतर्गत विदेश यात्राएं भी हैं)	19i		5		19iv
20	अनुषंगी फायदों का मूल्य (स्तंभ iv का योग)					20iv
21	यदि अनुसूची - अनुषंगी फायदा I के '1' का उत्तर नहीं है तो अनुषंगी फायदे का मूल्य (20 iv के समान होगा।)					21iv
22	यदि अनुसूची - अनुषंगी फायदा I के '2' का उत्तर हां है तो अनुषंगी फायदे का मूल्य (20 iv के समान होगा)					22iv
23	यदि अनुसूची - अनुषंगी फायदा I के '2' का उत्तर नहीं है तो अनुषंगी फायदे का मूल्य ( 20 ivx अनुसूची-अनुषंगी फायदे I का 3क /अनुसूची - अनुषंगी फायदे I क 3ग)					23iv

24	अनुषंगी फायदे का मूल्य (यथास्थिति 21 iv या 22 iv या 23 iv)	24iv
<b>टिप्पण</b>	यदि अनुसूची - अनुषंगी फायदा I के '2' का उत्तर हां है तो भारत में प्रचालन के लिए अनुरक्षित लेखा बहियों के आधार पर 1 ii से 19 ii में के अंक प्रविष्ट करें।	

**अनुसूची आईटी** अग्रिम कर और आयकर के स्वतनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

कर संदाय	क्र.सं	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख /मास/वर्ष	चलान की क्रम संख्या	रकम (रुप में)
	i					
	ii					
	iii					
	iv					
	v					
	vi					
<b>टिप्पण</b>	भाग ख-टीटीआई के क्रम संख्यांक 15क और 15ख में अतिरम कर और स्वतनिर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें					

**अनुसूची- स्रोत पर कर कटौती 2** अन्य आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [ नियोजक द्वारा जारी प्ररूप 16 क के अनुसार]

अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	कर कटौती और संग्रहक का कर संग्रहण लेखा संख्या	यूनीक संव्यवहार संख्यांक (यूटीएन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत्त रकम	संदाय/जमा की तारीख	स्रोत पर कटौती किया गया कर	(6) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
	(1)	(2)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	i							
ii								

टिप्पण भाग ख टीटीआई के क्रम संख्या 15ख में स्तंभ 7 का योग प्रविष्ट करें

**अनुसूची-टीसीएस** संग्रहक द्वारा अन्य आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [प्ररूप 27घ के अनुसार]

आय के स्रोत पर संग्रहित कर	क्र. सं.	कर कटौती और संग्रहक का कर संग्रहण लेखा संख्या	यूनीक संव्यवहार संख्यांक (यूटीएन)	संग्रहक का नाम और पता	प्राप्त/विकलित रकम	प्राप्त विकलन की तारीख	कुल काटा गया कर	वर्ष के दौरान प्रत्यय के रूप (6) में से अनुज्ञात की गई रकम
	(1)	(2)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	i							
ii								

टिप्पण : भाग ख टीटीआई के क्रम सं.15ग में स्तंभ (7) का कुल प्रविष्ट करें

**अनुसूची एफबीटी** अनुषंगी फायदा कर के संदाय के ब्यौरे

कर संदाय	क्र.सं	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं०	रकम (रु०)
	i					
	ii					

iii															
iv															
v															

टिप्पण : भाग ग के 8क और 8ख में v का योग प्रविष्ट करें

**अनुसूची डीडीटीपी** वितरित लाभ पर कर के संदाय के ब्योरे

कर संदाय	क्र.सं	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं०	रकम (₹)
	i					
ii						
iii						
iv						
v						

टिप्पण : अनुसूची डीडीटी के 7 में v का योग प्रविष्ट करें